N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0161 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/08/2024 16:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 31/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:04 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/08/2024 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/08/2024 16:50:58 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 14 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** DEEPSHIKHA TT COLLEGE, SITAPURA, JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NEERAJ KUMAR MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RATIRAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1999 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HURELA POST DHRAMPURA, ANDHI, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	HURELA POST DHRAMPURA, ANDHI, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BEENA CHAUDARY		पति:KARMVEER	1. FLAT NO.82,TONK ROAD,GULMOHER GARDEN,VATIKA,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
2	RAJKAMAL SHARMA AND OTHERS		पिता:KALYAN SAHAY SHARMA	1. BILWA, TALAI KI DHANI,SANGANER,JAIPUR CITY

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		36,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 36,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात प्रकरण इस प्रकार से हैं कि दिनांक 19.07.2024 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को अति0 पुलिस अधीक्षक नगर-प्रथम ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर वहां पर उपस्थित व्यक्ति का परिचय परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा पुत्र श्री रतिराम मीणा, जाति मीणा, उम्र 25 वर्ष, निवासी गांव हुरेला, पोस्ट धर्मपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर से करवाते हुये परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश फरमाये। परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि मैं दीपशिखा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुरा, जयपुर में बी.एड. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हूं। यह कॉलेज गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय से पूर्व में आयोजित बी.एड. प्रवेश परीक्षा करवा चुका है। यह कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है तथा बी.एड. की डिग्री भी इसी विश्वविद्यालय से प्राप्त होनी है। मैं प्रथम वर्ष बी.एड के शुल्क की निर्धारित राशि 27,000 रुपये ऑनलाईन जमा करवा चुका हूं तथा इस सत्र की उपस्थिति मेरी पूर्ण हो चुकी है तथा परिक्षा (लिखित) शीघ्र आयोजित होने वाली है। अभी कुछ समय पूर्व कॉलेज के आफिस में परिक्षा फार्म जमा करवाने तथा इन्टर्रशिप पत्र लेने गया तो बीना कुमारी चौधरी तथा राजकुमारी जो दोनों कॉलेज की क्लर्क हैं, उन्होंने मेरे से एसयुपीडब्लयु कैम्प, किट, और पूर्ण उपस्थिति दर्शाने जो कि मेरी पूर्ण उपस्थिति है, उसके बावजूद भी कम उपस्थिति दर्शाकर लिखित परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक परमिशन पत्र न देने जो कि उनकी सील बीना मान्य नहीं है उक्त सील लगाने की ऐवज में 36,800 रुपये मांगे, जबकि नियमानुसार उक्त राशि वो इस प्रकार से कोर्स के नाम पर या मेरी उपस्थिति अपूर्ण दिखाकर प्राप्त नहीं कर सकती। बीना चौधरी और राजकुमारी स्वंय के लिए तथा प्रिसिंपल कॉलेज रिता बिष्ट के लिए रिश्वत की राशि इस प्रकार से 36,800 रुपये प्राप्त करना चाहती है। यह कर्ल्क मुझसे रिश्वत रिश्वत के संबंध में बातचीत कर लेगी। इसी प्रकार से मेरे मित्र चेतन मीणा से भी इन्होंने रिश्वत राशी की मांग की है। लेकिन उससे उनकी कहासूनी हो चुकी हैं, इसलिए मैं उनसे वार्ता कर लूंगा। बीना तथा राजकुमारी ने कहा कि राजस्थान युनिवर्सिटी से हम सैंटिंग कर लेगे तुम चिंता मत करो। मेरी राजकुमारी और बीना चौधरी तथा रीता बिष्ट से कोई उधार, लेन-देन बकाया नहीं है ना ही किसी प्रकार की कोई रंजिश है। रिपोर्ट करता हूं कि कानूनी कार्यवाही करे मैं इन्हें रिश्वत की राशि नहीं देना चाहता और रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। उक्त परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर दिनांक 20.07.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया, जिसमें संदिग्ध आरोपीया द्वारा रिश्वत मांग करना पाया जाने पर दिनांक 20.07.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया जाकर स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गई तथा परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा द्वारा संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के 500-500 रूपये के 72 नोट कुल 36,000 रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश करने पर नियमानुसार फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार की गई। दिनांक 20.07.24 को समय 03०:30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस स्वतंत्र गवाहान परिवादी तथा ट्रेप पार्टी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर दीपशिखा कॉलेज से पहले पहुंच कर समय 04०:03 पीएम पर परिवादी को डिजिटल वाइस रिकॉर्डर चालु कर दीपशिखा टीटी कॉलेज में भेजा गया। लेकिन कॉलेज बंद हो जाने से संदिग्ध आरोपीगण नहीं मिलने पर ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी और मन् उप अधीक्षक पुलिस हमराही जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान लेकर वापस ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा। उसके बाद परिवादी की बी.एड. प्रथम वर्ष की लिखित परिक्षाऐं हो जाने के पश्चात दिनांक 31.07.2024 को परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा मन उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि लिखित परिक्षाओं के पश्चात मेरे वार्षिक पाठ योजना (फाईनल लैसन) में इन्टर्नल मार्क्स भी कॉलेज द्वारा भेजे जाने हैं। इस कारण से संदिग्ध आरोपी बीना

चौधरी अभी भी अपने लिये व प्रिसिंपल मैडम के लिए रिश्वती राशि प्राप्त करने का अंदेशा है। चुंकि परिवादी द्वारा पुनः नये तथ्य प्रकट किये जाने पर दिनांक 31.07.24 को पुनः रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया। जिस पर हुई मांग सत्यापनों के अनुसार संदिग्ध आरोपी श्रीमती बीना चौधरी द्वारा परिवादी से बी.एड. प्रथम वर्ष में इन्टरनल मार्क्स दिलवाने, परीक्षा में फेल नहीं करने, वार्षिक पाठ योजना (फाईनल लैसन) में शामिल करने, किट, डोनेशन के नाम से, एसयुपीडब्लयु कैम्प, परमिशन लेटर पर सील लगाने तथा राजस्थान युनिवर्सिटी से कोई दिक्कत नहीं आने देने आदि की ऐवज में एक रफ पेज पर पेन से लिखकर अलग-अलग कर कुल 36000 हजार रूपये लेना तय कर 6,500 रुपये स्वंय के पास तथा 29,500 रुपये विण्डो पर श्री राजकमल शर्मा को देने के लिए मंगवाये गये। जिस पर ट्रेप कार्यवाही आयोजन करने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 31.07.24 को समय 02०:20 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ट्रेप टीम जाप्ता आलोक कुमार एएसआई, राजकुमार हैड कानि. 79, हरिसिंह कानि. 19, बंशीधर कानि. 24, मनुशर्मा 111, लालु सैनी 418, श्रीमती ललिता महिला कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के ब्यूरो कार्यालय जयपुर से गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर दीपशिखा कॉलेज से पहले पहुंच कर समय 02०:52 पीएम पर परिवादी को डिजिटल वाइस रिकॉर्डर चालु कर दीपशिखा टीटी कॉलेज में भेजा गया। समय करीब 03०:04 पीएम पर परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा ने पूर्व निर्धारित ईशारे के रुप में मोबाईल पर वार्ता कर रिश्वत लेन देन का नियत ईषारा किया तथा बताया कि रिश्वत राशि के 29,500 रुपये मेरे से परिसर के अन्दर आगे की तरफ की बिल्डिंग में विण्डो पर श्री राजकमल शर्मा तथा 6,500 रुपये इसी परिसर के अन्दर पीछे की तरफ बिल्डिंग में दीपशिखा टीटी कॉलेज के अन्दर भू-तल पर श्रीमती बीना चौधरी ने प्राप्त कर लिये हैं। मैं उन्हीं के पास खड़ा हूं। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के रीजनल इन्स्टीटयुट परिसर के अन्दर पहुंचा तथा श्री मनु शर्मा कानि., श्री लालु सैनी कानि. व श्री बंशीधर कानि. को परिसर के अन्दर आगे की तरफ की बिल्डिंग में विण्डो पर बैठे श्री राजकमल शर्मा को डिटेन करने की हिदायत मुनासिब कर रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस स्वतंत्र गवाहान तथा शेष ट्रेप टीम को लेकर इसी परिसर के अन्दर पीछे की तरफ बिल्डिंग में दीपशिखा टीटी कॉलेज के गेट के पास भू-तल पर परिवादी के पास पहुंचा व डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा ने आगे चलकर बिल्डिंग के दाहीनी तरफ सीढ़ियों के पास बने कमरे में पहुंच कर वहां पर कुर्सी पर बैठी सल्वार कुर्ता पहने हुए एक महिला की ओर ईशारा कर बताया कि यही मैडम बीना चौधरी जी है। जिन्होंने मेरे को इन्टरनल मार्क्स दिलवाने, परीक्षा में फेल नहीं करने, वार्षिक पाठ योजना (फाईनल लेशन) में शामिल करने, किट, डोनेशन के नाम से, एसयुपीडब्लयु कैम्प तथा राजस्थान युनिवर्सिटी से कोई दिक्कत नहीं आने देने की ऐवज में अभी-अभी मुझसे मांगने पर मैने अपने पास से 6,500/-रूपये इनको देने पर इन्होने अपने दांये हाथ में लेकर गिनकर अपने पास रखे है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उक्त महिला से उसका परिचय पूछा उसने अपना नाम बीना चौधरी पत्नी श्री कर्मवीर, जाति जाट, उम्र 36 वर्ष, निवासी मकान नं. 38, रामनगर टोल टैक्स, टोंक रोड़, सागांनेर, जयपुर हाल किरायेदार फ्लैट नं 82, गुलमोहर गार्डन, वाटीका, टोंक रोड़, जयपुर हाल लेक्चरर दीपशिखा टीटी कॉलेज, सीतापुरा जयपुर होना बताया। इसके पश्चात् श्रीमती बीना चौधरी से पूछा गया कि आपने परिवादी नीरज कुमार मीणा से अभी कुछ देर पहले किस बात के रूपये लिये है। जिस पर श्रीमती बीना चौधरी ने परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा से किसी प्रकार के रुपये लेने से मना किया तथा वह घबरा गई, जिसे सही बात बताने हेतु तसल्ली देकर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने महिला कानि. श्रीमती ललिता को श्रीमती बीना चौधरी के दोनों हाथ पकड़े रखने तथा मौजूदा जाप्ता व स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार जागा को हिदायत कर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी व स्वतंत्र गवाहान श्री हिमांशु कुमावत को साथ लेकर रिजनल इन्सटयुट परिसर के अन्दर आगे की तरफ की बिल्डिंग में कैशियर रुम में पहूंचा। जहां पर श्री मनु शर्मा कानि., श्री लालु सैनी कानि. व श्री बंशीधर कानि. मौजूद मिले। वहां पर परिवादी ने कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह कैशियर श्री राजकमल जी है। जिन्होंने मेरे से श्रीमती बीना मैडम के कहने पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने पास से 29,500/-रूपये इनको देने पर इन्होने अपने दांये हाथ में लेकर दोनो हाथों से गिनकर अपने पास रखे है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पूछा उसने अपना नाम श्री राजकमल शर्मा पुत्र कल्याणसहाय शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम बिलवा, तलाई की ढ़ाणी, सांगानेर, जयपुर हाल कैशियर दीपशिखा टीटी कॉलेज, सीतापुरा जयपुर होना बताया। इसके पश्चात् श्री राजकमल से पूछा गया कि आपने परिवादी नीरज कुमार मीणा से कुछ देर पहले 29,500 रुपये किस बात के लिये है। जिस पर श्री राजकमल ने परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा से किसी प्रकार के रुपये लेने से मना किया तथा वह घबरा गया, जिसको तसल्लीपूर्वक पूछने पर बताया कि श्रीमती बीना चौधरी के कहने पर मैंने नीरज कुमार से 29,500 रुपये प्राप्त कर मेरे पास सस्ंथा के कैश के पूर्व से रखे 300 रुपये मिलाकर 29,800 रुपये युनियन बैंक में जमा करवाने हेतु सस्ंथा के कर्मचारी श्री राजुलाल के साथ भिजवा दिये हैं। जिस पर राजुलाल से मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वार्ता की गई तो श्री राजुलाल ने बताया कि मेरे को कैशियर श्री राजकमल जी ने 29,800 रुपये बैंक में जमा कराने हेतु दिये थे, जो मैंने युनियन बैंक में जमा करवा दिये हैं। जिसे मेरे समक्ष उपस्थित होने हेतु हिदायत की गई, जो कि उपस्थित नहीं आया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस स्वतंत्र गवाह श्री हिमांशु कुमावत, मौजुद जाप्ता

परिवादी व श्री राजकमल शर्मा साथ को लेकर वापस इसी परिसर के अन्दर पीछे की तरफ बिल्डिंग में दीपशिखा टीटी कॉलेज में श्रीमती बीना चौधरी के पास पहुंचा, जहां पर श्रीमती ललिता महिला कानि. श्रीमती बीना चौधरी के दोनों हाथ पकड़े हुये व अन्य जाप्ता भी मौजुद मिला। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमती बीना चौधरी से परिवादी नीरज कुमार मीणा से कुछ देर पहले लिये गये रूपयों के बारे में पूछने पर बताया कि मैंने नीरज से 6,500 रुपये प्राप्त कर प्रिसिंपल रुम में प्रिसिंपल के टेबिल की दाहीनी तरफ की नीचे की दराज में रजिस्टर के ऊपर रख दिये थे, जो मैंने वापस उठा लिये है। जिस पर उक्त रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री देवेश कुमार जागा के पास सुरक्षित रखवाई गई। श्रीमती बीना चौधरी से परिवादी से उक्त रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछने पर बताया कि यह राशि सस्ंथा के लिए नियमानुसार प्रेक्टिकल, किट आदि के लिए ली गई है। इस पर मौजूद परिवादी ने श्रीमती बीना चौधरी के स्पष्टीकरण का खण्डन करते हुए बताया कि ये झूंठ बोल रही है। मैं इनके पास दिनांक 20.07.2024 को व आज दिनांक 31.07.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु कॉलेज पर आया तो इन्होने मुझसे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान मेरी बी.एड. प्रथम वर्ष में इन्टरनल मार्क्स दिलवाने, परीक्षा में फेल नहीं करने, वार्षिक पाठ योजना (फाईनल लेशन) में शामिल करने, किट, डोनेशन के नाम से, एसयुपीडब्लयु कैम्प तथा राजस्थान युनिवर्सिटी से कोई दिक्कत नहीं आने देने की ऐवज में मेरे से 36,000 रुपये (6,500 रुपये स्वंय के लिए व 29,500 रुपये विण्डो पर श्री राजकमल शर्मा को दिलवाने हेतु) रिश्वत राशि लेना तय कर आज बीना चौधरी मैडम के कहने पर 29,500 रुपये विण्डो पर श्री राजकमल शर्मा को दिये, जो उन्होंने मेरे से प्राप्त कर लिये तथा रसीद मांगने पर रसीद देने से मना किया और मौखिक रुप से मेरे से मेरा व मेरे पिताजी का नाम भी पूंछा था। श्री राजकुमार शर्मा को 29,500 रुपये देने के बाद मैं इस कमरे में आकर इन मैडम को 6,500 रुपये रिश्वत राशि दी, जो इन्होंने गिनकर प्राप्त कर ली, इसके बाद मैंने साईड में आकर आपको मोबाईल से निर्धारित ईशारा कर अवगत करा दिया। इस पर पुनः श्रीमती बीना चौधरी से पूछा गया तो उसने बताया कि उक्त राशि 6,500 रुपये मैंने प्रिसिंपल मैडम श्रीमती रिता बिष्ट के कहने पर प्राप्त कर उनके कमरे में टेबिल की दाहीनी तरफ की नीचे की दराज में रजिस्टर के ऊपर रख दिये थे। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मेरे मोबाईल से श्रीमती रिता बिष्ट के मोबाईल पर वार्ता करनी चाही, लेकिन वार्ता नहीं की गई और नाहीं कॉलेज में की गई ट्रेप कार्यवाही के दौरान उपस्थित आई। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सरसरी तौर से सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपीगण के मध्य रिष्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। इसके पश्चात् परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बॉक्स से दो नये प्लास्टिक के गिलासो में कॉलेज से बोतल में स्वच्छ पानी मगंवाकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण के एक गिलास में श्रीमती बीना चौधरी के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अगुंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की षीषियों मे आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर अग्रेंजी में मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण के गिलास में श्रीमती बीना चौधरी के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की षीषियों मे आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर अग्रेंजी में मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो नये प्लास्टिक के गिलासो में स्वच्छ पानी डालकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण के एक गिलास में श्री राजकमल के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अगुंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की षीषियों मे आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर अग्रेंजी में मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण के गिलास में श्री राजकमल के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की षीषियों मे आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर अग्रेंजी में मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात प्रिसिंपल कक्ष में प्रिसिंपल के टेबिल की दाहीनी तरफ की नीचे की दराज में जिस रजिस्टर के ऊपर रिश्वती राशि रखी हुई थी, उस रजिस्टर को एक सफेद चिंदी से पौंछकर, चिंदी को उक्त तैयार शुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा डालकर सील मोहर कर अग्रेंजी में मार्क आरजी-1, आरजी-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर

करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया तथा रजिस्टर को जिस सफेद चिंदी से पौंछा गया उस चिंदी को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर अग्रेंजी में मार्का सी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया एंव रजिस्टर का ऊपर का कवर जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई थी, रजिस्टर के उस कवर पर पेन से गोले का निशान कर उस पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, आरोपीया श्रीमती बीना चौधरी के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, आरोपीया श्रीमती बीना चौधरी के हस्ताक्षर करवाकर अग्रेंजी में मार्क-आर अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार जागा के पास रखी रिश्वती राशी को दोनो गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो दोनो गवाहान ने वो ही 500-500 रूपये के 13 नोट कुल 6,500 रूपये बताये। उक्त बरामद शुदा 6,500/- रिश्वती नोटो को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। सस्ंथा के कर्मचारी श्री राजुलाल द्वारा युनियन बैंक, गोनेर मोड़ में जमा करवाने के संबंध में बैंक से जानकारी प्राप्त करने हेतु श्री आलोक कुमार शर्मा, एएसआई को बैंक के लिए पत्र जारी कर रवाना किया गया जो कुछ समय बाद उपस्थित आया तथा बताया कि मैं युनियन बैंक, शाखा गोनेर मोड़ पहुंचा और शाखा प्रबन्धक से रिजनल इन्सट्टीटयूट द्वारा जमा करवाई गई राशि के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तो शाखा प्रबन्धक ने बताया कि रिजनल इन्सट्टीटयूट सस्ंथा द्वारा उनकी शाखा में आज नगदी तो जमा करवाई गई है, लेकिन कितनी करवाई गई है व नोटों के नम्बर ज्ञात नहीं होना बताया क्योंकि बैंक कैशियर तब बैंक में मौजूद नहीं था, शाखा प्रबन्धक द्वारा कल कैशियर के आने पर ही पूर्ण विवरण दिया जाना बताया तथा यह भी बताया कि रिजनल इन्सट्टीटयूट सस्ंथा द्वारा जमा कराई गई राशि बैंक में सुरक्षित हालात में है। जिस पर शाखा प्रबन्धक युनियन बैंक, शाखा गोनेर मोड को उक्त राशि सुरक्षित हालात में रखने हेतु पत्र जारी किया गया। इस संबंध में शाखा प्रबन्धक युनियन बैंक, शाखा गोनेर मोड़ ने जरिये पत्र अवगत कराया कि कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरी नोट 500-500 रूपये के 59 नोट कुल 29,500 रुपये उनकी शाखा में जमा है, जिन्हें सुरक्षित रखवाया गया है। तत्पश्चात आरोपीगण श्रीमती बीना चौधरी व श्री राजकमल शर्मा से पृथक-पृथक पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट तैयार किया गया तथा आरोपीगण श्रीमती बीना चौधरी व श्री राजकमल शर्मा को उनके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवा कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वती लेन-देन परिवादी व आरोपीगण के मध्य हुई वार्ता के संबंध में अपनी नमूना आवाज देने बाबत् पूछने पर आरोपीगण ने अपनी-अपनी नमूना आवाज देने से स्पष्ट इंकार कर दिया। जिनकी पृथक-पृथक फर्द नमूना आवाज तैयार की गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपीगण श्रीमती बीना चौधरी व श्री राजकमल शर्मा कैशियर, दीपशिखा टीटी कॉलेज, जयपुर के विरूद्व अपराध धारा 7 ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) तथा 61 (2) व 308 (2) बी.एन.एस. का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीगण श्रीमती बीना चौधरी व श्री राजकमल शर्मा कैशियर को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहान व परिवादीगण के समक्ष निरीक्षण कर परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात दिनांक 01.08..2024 को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गई विडियोग्राफी की फर्द विडियोग्राफी नियमानुसार तैयार कर पृथक-पृथक डीवीडी तैयार की गई तथा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी व आरोपीगण के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार कर पृथक-पृथक डीवीडी तैयार की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन में श्रीमती बीना चौधरी द्वारा, "ये है, और ये है, और ये है, और ये है इनको जोड़ ले अब तू" परिवादी नीरज कुमार मीणा "छतीस हजार" श्रीमती बीना चौधरी, "फाईनल लैसन (अभी 2000 रुपये लगाकर बताया), एसयुपीडब्लू (4500 रुपये पर अंगुली रख कर बताया), और किट (4500 रुपये पर अंगुली रख कर बताया)" परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, " फोन पे हो जायेगा मैडम " श्रीमती बीना चौधरी, "नहीं कैश देना पड़ेगा " परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, "राजस्थान यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेने में कोई दिक्कत थोडी होगी "श्रीमती बीना चौधरी, "पहले मोबाईल जमा करा के आ, मोबाईल जमा करा के आओ पहले, राजस्थान यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर यहाँ से इर्न्टनल मार्क्स नहीं भेजे गये ना तो आप फेल ही हैं " परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, "मैं तो मैडम पैसे देने को तैयार हूँ" श्रीमती बीना चौधरी, "जितना बताया है आपको उसको जमा करना है वो करना है" परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, "तो अभी जैसे प्रेक्टीकल के देने है या टोटल छत्तीस आपने बताये हैं" श्रीमती बीना चौधरी, "पूरा का पूरा" परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, "छत्तीस, वो तो अभी दे दूंगा" श्रीमती बीना चौधरी, "क्योकिं उसके बिना तो प्रेक्टिकल में बैठने ही नहीं देंगे ये" श्रीमती बीना चौधरी, "तो तुमने मेरा नाम क्यू लिया, नाम नहीं लेना चाहिए था ना वहाँ पे मैडम का मैसेज आया था मेरे पास जो तूने मैसेज मैडम को भेजा था" परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, "हां " श्रीमती बीना चौधरी, "ये रही आजा, आजा एक मिनट देख वहाँ जाके जमा करा के आना है तुझे राजकमल की विण्डो पर तो ये करा के आजा ये और ये ठीक है" आदि वार्ताऐं तथा रिश्वत लेन-देन वार्ता के दौरान परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, "छत्तीस हजार" श्रीमती बीना चौधरी, "ये तो आप विण्डो पर जमा कराओ" परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, "पैसे देने थे" राजकमल शर्मा, "हां तो दे दो" राजकमल शर्मा, " किस का पैसा है ये" परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, "मेरा ही है" परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, "साढे़ उन्तीस है ये बाकि तो वहाँ देंगे"

राजकमल शर्मा, "बीएसटीसी है या बीएड" परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, "बीएड फर्स्ट ईयर" परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, "रसीद वगैराह" राजकमल शर्मा, "रसीद आपको नहीं मिलेगी" परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, "कुछ तो सर प्रुफ तो दोगे जमा कराया कि नहीं करवाया" राजकमल शर्मा, "नहीं मिलती इसकी रसीद" परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा, "छत्तीस बताये थे आपने साढे उन्तीस वहां पे दिये साढे छह है ये गिन लो पैसे तो" श्रीमती बीना चौधरी, "डायरी तो ले जा पुरी किट देंगे आपको" आदि वार्ताऐं हुई है। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान शील्डशुदा आर्टिकल्स पर लगाई गई सील की फर्द नमूना सील पृथक से तैयार आदि कार्यवाही की गई। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपीगण श्रीमती बीना चौधरी व श्री राजकमल शर्मा कैशियर दीपशिखा टीटी कॉलेज, जयपुर द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर वैद्य पारिश्रमण से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से आपसी षड़यंत्र करके परिवादी श्री नीरज कुमार मीणा को दीपशिखा, टीटी कॉलेज के बी.एड. प्रथम वर्ष में इन्टर्नल मार्क्स दिलवाने, परीक्षा में फेल नहीं करने, वार्षिक पाठ योजना (फाईनल लैसन) में शामिल करने, किट, डोनेशन के नाम से, एसयुपीडब्लु कैम्प, परमिशन लेटर पर सील लगाने तथा राजस्थान युनिवर्सिटी से कोई दिक्कत नहीं आने देने आदि की ऐवज में आरोपीगणों द्वारा परिवादी श्री नीरज कुमार को बिना रसीद व बिना विहित प्रावधानों के कुल 36,000 रुपये प्राप्त किये गये। जिसमें श्रीमती बीना चौधरी द्वारा परिवादी से 36,000 रुपये (6,500 रुपये स्वंय व 29,500 रुपये श्री राजकमल शर्मा को दिलवाना) रिश्वत राशि लेना तय कर दिनांक 31.07.2024 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपिया श्रीमती बीना चौधरी द्वारा 6,500 रुपये तथा आरोपी श्री राजकमल शर्मा द्वारा 29,500 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) तथा 61 (2) व 308 (2) बी.एन.एस. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है तथा अन्य की भुमिका संदिग्ध प्रतीत होती है, जो अनुसंधान से स्पष्ट होगी। अतः आरोपीगण 1. श्रीमती बीना चौधरी पत्नी श्री कर्मवीर, जाति जाट, उम्र 36 वर्ष, निवासी मकान नं. 38, रामनगर टोल टैक्स, टोंक रोड़, सागांनेर, जयपुर हाल किरायेदार फ्लैट नं 82, गुलमोहर गार्डन, वाटीका, टोंक रोड़, जयपुर हाल क्लर्क कम लेक्चरर दीपशिखा टीटी कॉलेज, सीतापुरा जयपुर, 2. श्री राजकमल शर्मा पुत्र कल्याणसहाय शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम बिलवा, तलाई की ढ्राणी, सांगानेर, जयपुर हाल कैशियर दीपशिखा टीटी कॉलेज, सीतापुरा जयपुर तथा अन्य के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय, (नीरज गुरनानी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं तथा 61 (2) व 308 (2) बी.एन.एस. में आरोपीगण 1. श्रीमती बीना चौधरी पत्नी श्री कर्मवीर, निवासी मकान नं. 38, रामनगर टोल टैक्स, टोंक रोड़, सागांनेर, जयपुर हाल किरायेदार फ्लैट नं 82, गुलमोहर गार्डन, वाटीका, टोंक रोड़, जयपुर हाल क्लर्क कम लेक्चरर दीपशिखा टीटी कॉलेज, सीतापुरा जयपुर, 2. श्री राजकमल शर्मा पुत्र कल्याणसहाय शर्मा, निवासी ग्राम बिलवा, तलाई की ढ्राणी, सांगानेर, जयपुर हाल कैशियर दीपशिखा टीटी कॉलेज, सीतापुरा जयपुर तथा अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र पंचौली, उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 25 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 845-48 दिनांक 2.8.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या–1, जयपुर। 2 प्रिसिंपल/निदेशक, दीपशिखा, टीटी कॉलेज, सीतापुरा, जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम,जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA PANCHOLI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/08/2024 16:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	11/09/1986				
2	Male	19/09/1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)